UPCH010004312026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0-178/2026

1- गुलाब पुत्र छोटेलाल

2- मीरा पत्नी गुलाब निवासीगण- बनवारीपुर, थाना- कोतवाली कर्वी, जिला- चित्रकूट।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

मु0 अ 0 सं0-698/2025
धारा- 80(2) भा0 न्या0 सं0(पुरानी धारा-304 बी भा0 दं0 सं0),
85 भा0 न्या0 सं0 (पुरानी धारा-498 ए भा0 दं0 सं0)
व 3/4 डी0 पी0 एक्ट
थाना- कोतवाली कर्वी, जनपद- चित्रकूट।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

<u>06.03.2026</u>

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण गुलाब व मीरा की ओर से मु0 अ 0 सं0- 698/2025 धारा-80(2), 85 भा0 न्या0 सं0 (पुरानी धारा-304 बी, 498 ए भा0 दं0 सं0) व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना- कोतवाली कर्वी, जनपद- चित्रकूट में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र शपथपत्र 4 ख से समर्थित है जिसके प्रस्तर 09 में आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र होना उल्लिखित है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा श्रीमती पुष्पा की ओर से दिनांक 13.11.2025 को थाना- कर्वी कोतवाली नगर, जनपद- चित्रकूट में इस आशय का शिकायती प्रार्थना पत्र देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.03.06 17:24:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करायी गयी कि उसकी पुत्री ईसा गिहार की शादी विगत तीन वर्ष पूर्व 16 फरवरी 2022 को हिन्दू रीति रिवाज से योगेश कुमार पुत्र गुलाब निवासी बनवारीपुर कर्वी थाना कोतवाली कर्वी के साथ सम्पन्न हुयी थी। उसकी पुत्री के साथ कई बार मारपीट भी हुयी थी और पूर्व में माननीय न्यायालय चित्रकूट दहेज संबंधी मुकदमा भी न्यायालय में चला था जिसमें समझौता हो चुका था। इसके उपरान्त करवा चौथ के दौरान योगेश कुमार द्वारा उसकी लड़की को मारपीट कर मोटरसाईकिल की मांग किया जा रहा था। किन्तु मांग पूरी न कर पाने के कारण दिनांक 13.11.2025 को उसकी पुत्री के गले में फांसी का फंदा डालकर हत्या कर दी गयी। उसे आशंका है कि सभी परिवारीजन पति योगेश कुमार, ससुर गुलाब, भाई योगेन्द्र कुमार व मुकेश कुमार, सास मीरा, जेठानी सालू पत्नी योगेन्द्र व देवरानी नेहा पत्नी मुकेश आदि सभी लोगो ने मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। जिसकी सूचना उसे दिनांक 13.11.2025 को सुबह 4.30 बजे उसकी नन्द द्वारा टेलीफोन पर मिली तब वह मौके पर पहुंची और देखा कि उसकी पुत्री को फांसी के फंदे से उतार कर जमीन में लिटा दिया है। जहां पर उसकी पुत्री मृत पड़ी थी। सभी मुल्जिमानों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उक्त मुकदमे मे उन्हे झूंठा फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतका के ससुर व सास हैं। आवेदकगण के तीन पुत्र मुकेश, योगेन्द्र व योगेश है जो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मृतका ने मृत्यु के पूर्व अपने कमरे का लोहे का दरवाजा अंदर से बंद किया था। मृतका की बच्ची, जो कमरे के बाहर थी, के रोने पर जब परिवार के सदस्य मृतका को जगाने का प्रयास किया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। रोशनदान से देखा गया तो पता चला कि फांसी पर लटकी हुई है तब तत्काल सूचना पुलिस को दी गयी, पुलिस मौके पर पहुंची तब लाश नीचे उतारा गया। मृतका के परिवारीजन ने

आवेदकगण/अभियुक्तगण के खिलाफ झूंठी रिपोर्ट दर्ज की है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतका के सास व ससुर हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल की मांग की जा रही थी। मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण द्वारा मृतका को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा था जिसमें मृतका द्वारा कई बार शिकायत दर्ज करायी गयी थी। दिनांक 13.11.2025 को अभियुक्तगण ने वादिया मुकदमा की पुत्री/मृतका की दहेज हत्या कारित किया। मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में सात वर्ष के अन्दर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है, अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिया मुकदमा पुष्पा की पुत्री मृतका ईशा गिहार की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 16.02.2023 को अभियुक्त योगेश कुमार के साथ होना एवं मृतका के ससुरालीजन द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मृतका की दहेज हत्या कारित किया जाना कहा गया है। केस डायरी के पर्चा नं0-2 में दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में वादिया मुकदमा पुष्पा ने यह कथन किया है कि *" ईशा की शादी योगेश कुमार के साथ दिनांक 16.02.2022 को किया था। शादी में मैंने अपनी शक्ति के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन मेरी लड़की के ससुराल वाले उस दान दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में एक*

मोटरसाईकिल की मांग करते थे। इसी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आये दिन मेरी लड़की ईशा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। मेरी लड़की अपने इस प्रताड़ना के बारे में मुझमे बात चीत के दौरान बताती थी। शादी के बाद से मेरी लड़की ने अपने पति व ससुरालीजन द्वारा की जा रही प्रताड़ना के सम्बंध में कई बार आईजीआरएस व व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया था किन्तु हर बार ससुराल के लोग मेरी लड़की व हम लोगो को बहला फुसलाकर समझौता करवा लेते थे। जब प्रार्थना पत्र देने से हल नहीं निकला था तो वर्ष 2024 में मेरी पुत्री ने थाना शंकरगढ़ में दहेज के लिये मारपीट और गाली-गलौज करने के संबंध में ससुरालीजन के विरुद्ध मुकदमा लिखाया था लेकिन बाद में इस मुकदमे में भी समझौता हो गया था। दिनांक 13.11.2025 को मेरी लड़की के ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर फांसी लगाकर मार डाला है। इस घटना की सूचना मुझे दिनांक 13.11.2025 को समय 04.30 बजे मेरी नन्द शीलू ने दिया था। सूचना मिलने पर मैं अपने परिवारीजन के साथ समय सुबह करीब 08.00 बजे अपनी लड़की के ससुराल ग्राम बनवारीपुर पहुंची थी जहां पर मैने अपनी पुत्री को मृत अवस्था में देखा था।" साक्षीगण मुकेश गिहार व शिवमंगल ने भी अपने धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयानों में कथित घटना की पुष्टि की है। मूल पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज के लिये आये दिन प्रताड़ित करने व मोटरसाईकिल की मांग किये जाने के संबंध में मृतका के पिता मुकेश गिहार द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना प्रयागराज में दिनांक 23.10.2023 को शिकायती आवेदन पत्र दिया गया एवं स्वयं मृतका द्वारा उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करने, मारपीट कर घर से निकाल देने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ 0 सं0 86/2024 अन्तर्गत धारा- 323,504,498 ए, भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज में पंजीकृत करायी गयी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व से ही मृतका को दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाना व उसके साथ मारपीट की घटनाये कारित

किया जाना बताया गया है। अभियोजन के अनुसार मृतका ईशा गिहार की शादी अभियुक्त योगेश कुमार के साथ दिनांक 16.02.2022 को होना एवं घटना दिनांक 13.11.2025 को घटित होना कहा गया है। अभियोजन की ओर से मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होना कहा गया है। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia due to Antomortem Hanging बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को मृतका का सास व ससुर होना कहा गया है, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी मृतका के जीवन रक्षा की थी। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कारित अपराध गम्भीर सामाजिक अपराध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण गुलाब व मीरा की ओर मु0 अ 0 सं0- 698/2025 धारा- 80(2), 85 भा0 न्या0 सं0 (पुरानी धारा- 304 बी, 498 ए भा0 दं0 सं0) व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना- कोतवाली कर्वी, जनपद- चित्रकूट के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 06.03.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0 ओ 0 कोड नं0-यू.पी. 5751